यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 138/2019 तारीखरजू:– 1.11.19

उनवान:– बृजवासी बनाम सरकार जरिये तहसीलदार वगै0

दावा वावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती) अन्तर्गत धारा 88,136

दिनांक	फर्द अहकाम
1.11.19	वादी की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरुस्ती) अन्तर्गत धारा 88,136 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलव कर पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
16.12.19	बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उप0। आईन्दा दिनांक 21.1.20 को पेश हो।
21.1.20	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व पैरोकार सरकार उप0। पत्रावली वास्ते जवाब व रिपोर्ट हेतु दिनांक 11.2.2020 को पेश हो।
11.2.20	वादी वकील एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। वादी ने दावा बाबत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय से पेश किया है कि ग्राम निसूरा की जमाबंदी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 194 में खातेदारी बिरजोली पुत्र सरदार हिस्सा 1/24 के नाम दर्ज हो रही है। जबकि सही नाम बृजवासी है आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड में बृजवासी दर्ज है बिरजोली तो बोलता नाम था पिता की मृत्यु हो जाने पर विरासत के नामा0 में बोलता नाम बिरजोली दर्ज कर दिया। अतः वादी का सही नाम बृजवासी S/o सरदार दर्ज करने के आदेश फरमावें। नायब तहसीलदार बालघाट ने अपनी रिपोर्ट में अंकित उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) (लगातार)

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
	किया है कि वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण से बिरजोली नाम दर्ज हुआ है, बिरजोली बोलता नाम है जबकि वास्तविक नाम बृजवासी है। तथा बिरजोली पुत्र सरदार जाति गूर्जर नाम का अन्य कोई व्यक्ति गाँव में नही है। बिरजोली एवं बृजवासी एक ही व्यक्ति है। बिरजोली के स्थान पर बृजवासी किया जाना उचित है।
	वादी वकील को सुना गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम निसूरा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 194 मे खातेदारी बिरजोली पुत्र सरदार जाति गूर्जर के नाम हिस्सा 1/24 दर्ज है। आधार कार्ड सं. 339526057497, भूतपूर्व सैनिको के पहचान पत्र संख्या 2084091B एवं राशन कार्ड संख्या 00291 मे बृजवासी पुत्र सरदार जाति गूर्जर दर्ज है। नायब तहसीलदार बालघाट ने भी अपनी रिपोर्ट में वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण से बोलता नाम बिरजोली दर्ज किया जाना बताया है तथा सही नाम बृजवासी बताया गया है एवं बिरजोली एवं बृजवासी एक ही व्यक्ति होना बताया है। तथा बिरजोली के स्थान पर बृजवासी नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार बिरजोली के स्थान पर बृजवासी दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ।
	अतः ग्राम निसूरा की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 194 में दर्ज नाम बिरजोली पुत्र सरदार के स्थान पर बृजवासी पुत्र सरदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नायब तहसीलदार बालघाट को निर्णय की पालना के लिए निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	निर्णय आज दिनांक 11.2.20 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।
	11/2/2020 (दुर्गाप्रसाद मीना) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: